

मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय

कार्यालय: टैगोर छात्रावास क्रमांक टी-2, श्यामला हिल, भोपाल-462002
दूरभाष एवं फ़ैक्स : 0755-2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2018/74

दिनांक-23.01.2018

सूचना

(सत्र 2018-19 के शुल्क विनियमन के संबंध में)

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 4526/2017, 5763/2017 एवं 5774/2017 में पारित निर्णय को संज्ञान में लेते हुये लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश के निजी क्षेत्र में संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के सत्र 2018-19 के शुल्क का पुर्नविनियम/विनियमन किया जाना है। ऐसी समस्त चिकित्सा संस्थाओं के प्रस्ताव ऑनलाईन के माध्यम से समिति की वेबसाईट www.afrcmp.org पर आमंत्रित हैं।

मध्यप्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं से "मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम-2007" के तहत प्रकाशित विनियम एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 4526/2017, 5763/2017 एवं 5774/2017 में पारित निर्णय के अनुरूप सत्र 2018-19 के लिये एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु शुल्क पुर्नविनियमन/विनियमन के संबंध में निर्धारित आवेदन पत्र प्रोफार्मा के साथ प्रस्ताव समिति की वेबसाईट www.afrcmp.org पर संस्था के लॉगिन आई.डी. (यूजर आईडी) के माध्यम से भरने की कार्यवाही करें। आनलाईन फार्म फरवरी, 2018 के तृतीय सप्ताह से मार्च, 2018 के अंतिम सप्ताह तक समिति की वेबसाईट www.afrcmp.org पर उपलब्ध रहेगा। अन्य संबंधित जानकारी, परीक्षण/निरीक्षण शुल्क भरने की प्रक्रिया एवं निर्देश इत्यादि संस्थाओं को अलग से इस सचिवालय द्वारा सूचित किये जा रहे हैं।

समिति छात्र/अभिभावक/अधिकृत संस्थाओं को निजी संस्थाओं के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शुल्क विनियमन के लिए संबंधित संस्था/पाठ्यक्रम के संबंध में उनका अपना पक्ष/सुझाव भी आमंत्रित करती है। छात्र/अभिभावक/अधिकृत संस्थायें अपना सुझाव समिति की वेबसाईट www.afrcmp.org पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/-

(डॉ. आलोक चौबे)

सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

SECRETARIAT
Admission and Fee Regulatory Committee
(A statutory body established through an Act of Government of Madhya Pradesh)
Office: Tagore Hostel No. T-2, Ground Floor-Left Wing, Shyamla Hills,
Bhopal – 462002 Phone and Fax No. (0755) – 2660461
email: lafrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

No. Sectt/OSD/2018/74

Dated : 23.01.2018

PUBLIC NOTICE

(For finalizing fee structure for sessions 2018-19)

Admission & Fee Regulatory Committee in compliance of the order in Hon'ble High Court Bench Indore in W.P. No. 4526/2017, 5763/2017 & 5774/2017 decided to re-regulate/regulate the fees for un-aided private institutions running MBBS course for the session 2018-19. Such institutions are required to submit online information in the prescribed proforma on AFRC's official website i.e. www.afrcmp.org.

On behalf Admission and Fee Regulatory Committee (AFRC) constituted under the Act "Madhya Pradesh Niji Vyavsayk Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Sulk Ka Nirdharan) Adhiniyam 2007" and as per the decision given by Hon'ble High Court Bench Indore in W.P. No. 4526/2017, 5763/2017 & 5774/2017 all concerned Private Unaided Professional medical Institutions running MBBS course, are required to submit their online proposal alongwith Proforma on AFRC's website i.e. www.afrcmp.org for fee re-regulation/regulation for the session 2018-19 through their login id (User id). The online Proforma will be available from first week of February, 2018 and will be available upto third week of March-2018 on AFRC website. Other relevant information/instructions and process of submission of processing fee/inspection fee etc. are being communicated to the institute by AFRC separately.

AFRC also invite views/suggestions from students/guardians/authorized institutions in respect of fee regulation of the professional courses run by Private Unaided Professional Educational Institutions. They can also submit their views/suggestions through website of AFRC i.e. www.afrcmp.org.

Sd/-
(Dr. Alok Chaube)
Secretary/O.S.D.